प्रेस नोट

पुलिस अधीक्षक कानपुर देहात के निर्देशन में दिनांकः- 11.09.2023 को जनपद में अपराधियों के विरूद्व व अपराध नियन्त्रण हेतु चलाये जा रहे अभियान एवं जनपद में शान्ति व्यवस्था कायम रखने हेतु की गयी कार्यवाही का विवरणः-

- थाना रनियां पुलिस द्वारा अभियुक्तगण 1-रामजी पाल पुत्र बाबूनारायण निवासी ग्राम चिरौरा थाना रनियां जनपद कानपुर देहात 2- नीलेश कबाडी पुत्र अज्ञात निवासी अज्ञात द्वारा वादी की पाईप फैक्ट्री में काम करने वाले अभियुक्त रामजी पाल द्वारा वादी की कस्बा रनियाँ स्थित पाइप फैक्ट्री से दो अदद मशीनरी पार्ट (डाई हेड) चोरी करके अभियुक्त नीलेश कबाडी को बेचने के सम्बन्ध में गिरफ्तार कर मु0अ0सं0-153/23 धारा 380/411/413 भा0द0वि0 पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की गयी।
- थाना रनियां पुलिस द्वारा अभियुक्त महराज सिंह यादव पुत्र स्व0 बच्चू सिंह यादव निवासी ग्राम सराय थाना मूसानगर जनपद कानपुर देहात के कब्जे से 5 किलो 200 ग्राम नाजायज गांजा बरामद होने के सम्बन्ध में गिरफ्तार कर मु0अ0सं0 106/2023 धारा 8/20बी NDPS ACT पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की गयी।
- थाना राजपुर पुलिस द्वारा अभियुक्त आसिफ पुत्र मौला निवासी नई बस्ती कस्बा व थाना राजपुर जनपद कानपुर देहात द्वारा आने जाने वाली लडकियो को देखकर अश्लील गाने गाना व सीटी बजाने के सम्बन्ध में गिरफ्तार कर मु0अ0सं0 66/23 धारा 294 भा0द0वि0 पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की गयी।
- थाना रसूलाबाद पुलिस द्वारा अभियुक्त विजय कुमार पुत्र रमेश चन्द्र निवासी रहीमनगर वार्ड नं0 01 कस्वा व थाना रसूलाबाद जनपद कानपुर देहात के कब्जे से 16 अदद क्वार्टर नाजायज देशी शराब महबूबा ब्राण्ड बरामद होने के सम्बन्ध में गिरफ्तार कर मु0अ0सं0 376/2023 धारा 60 आबकारी अधिनियम पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की गयी।
- थाना गजनेर पुलिस द्वारा मु0अ0सं0-71/02 धारा 39/40/48 भा0द0वि0 में वारण्टी अभियुक्त शंकरदयाल पुत्र स्व0 मन्नीलाल निवासी ग्राम कुर्वा खुर्द थाना गजनेर जनपद कानपुर देहात को गिरफ्तार कर विधिक कार्यवाही की गयी।
- थाना रनियां पुलिस द्वारा मु0अ0सं0-107/23 धारा 379/411 भा0द0वि0 में अभियुक्त राजा उर्फ गौरव पुत्र दिनेश तिवारी निवासी ग्राम किशौरा थाना रनियां जनपद कानपुर देहात को गिरफ्तार कर विधिक कार्यवाही की गयी।
- जनपद मे शांति व्यवस्था कायम रखने हेतु जनपद पुलिस द्वारा 06 व्यक्तियों के विरुद्ध थानावार क्रमशः जिसमें थाना मंगलपुर पुलिस द्वारा 02 व्यक्तियों, थाना सिकन्दरा पुलिस द्वारा 01 व्यक्ति, थाना शिवली पुलिस द्वारा 02 व्यक्तियों, थाना डेरापुर पुलिस द्वारा 01 व्यक्ति का धारा 151/107/116 द0प्र0सं0 के अन्तर्गत चालान किया।